उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 20/4-2002-का-2-2007

लखनऊ, 18 अगस्त, 2007

अधिसूचना संख्या 20/4-2002-का-2-2007, दिनांक 18 अगस्त, 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

5–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

बी०एन० दीक्षित,

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या–219 (क-1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 18 अगस्त, 2007

श्रावण 27, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 20/4/2002-का-2-2007

लखनऊ, 18 अगस्त, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–35

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5(4)(क) का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में नियम-5 में उपनियम-4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् नियम-5(4)(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाए किन्तु किसी मामले में एक रिक्ति के लिए 10 अभ्यर्थियों से अधिक न होगी। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उपनियम-3 के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।	(क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाए किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उपनियम-3 के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

आज्ञा से,
जे०एस०दीपक,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/4/2002-Ka-2-2007, dated August 18, 2007:

No. 20/4/2002-Ka-2-2007
Dated Lucknow, August 18, 2007

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commision) Rules, 2002:

THE UTTAR PRADESH PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR GROUP 'C' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2007

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) (Second Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, in rule 5, in sub-rule (4), *for* existing clause (a) set out in Column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Clause	*Clause as hereby substituted*
(a) After the results of the evaluations under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (3) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule-4, hold an interview. The number of candidates to be called for interview against the number of vacancies shall be such as is considered appropriate by the Selection Committee, but in any case it shall not exceed ten candidates for one vacancy. In the case of candidates to be selected for a post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, only such candidates who qualify the typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be, under clause (d) of sub-rule (3) shall be called for interview.	(a) After the results of the evaluations under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (3) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule-4, hold an interview. The number of candidates to be called for interview against the number of vacancies shall be such as is considered appropriate by the Selection Committee. In the case of candidates to be selected for a post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, only such candidates who qualify the typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be, under clause (d) of sub-rule (3) shall be called for interview.

By order,

J. S. DEEPAK,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 394 राजपत्र (हि०)–(1051)–2007–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 19 सा० नियुक्ति–(1052)–2007–2000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।